प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 21.05.2026

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से विभिन्न स्थानों से चोरी किये गये 18 वाहन (मोटरसाइकिल/ स्कूटी/ विक्की) बरामद ।

आज दिनांक 21.05.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. अमजद पुत्र चांद बाबू निवासी निकट आयशा मस्जिद, 20 फुटा रोड प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष 2. बिलाल पुत्र रहीसुद्दीन निवासी निकट बंगाली मस्जिद, नसबंदी कालोनी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों उपरोक्त की कब्जे/निशांदेही पर एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से चोरी किये गये 18 वाहन (12 मोटरसाइकिलें, 05 स्कूटी तथा 01 विक्की) बरामद किये गये । बरामद किये गये वाहनों के सम्बन्ध में दिल्ली व गाजियाबाद में चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों अपने एक अन्य साथी माजिद के साथ मिलकर दिल्ली और यू0पी0 में अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें और स्कूटी की चोरी करते है । यह जो मोटरसाइकिल हम चला रहे है, यह हमने करीब 01 महीने पहले डीएलएफ से चोरी की थी। हमने चोरी किये गये इन वाहनों को बेचने के लिए छिपा रखा था और बेचने की फिराक में थे। आज हम मोटरसाइकिल से वाहन बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. अमजद पुत्र चांद बाबू निवासी निकट आयशा मस्जिद, 20 फुटा रोड प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष
2. बिलाल पुत्र रहीसुद्दीन निवासी निकट बंगाली मस्जिद, नसबंदी कालोनी डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता- माजिद पुत्र शौकीन निवासी प्रेमनगर थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली व गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों से चोरी किये गये 18 वाहन (12 मोटरसाइकिलें, 05 स्कूटी तथा 01 विक्की) जिनमें 05 वाहन थाना अंकुर विहार क्षेत्र से चोरी किये गये हैं, बरामद हुए।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली व गाजियाबाद के विभिन्न थानों में लूट/ चोरी/ बरामदगी व अन्य अपराधों के दर्जनों अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभि0 रहीम पुत्र नदीम निवासी सिल्वर सिटी लोनी गाजियाबाद द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा- 69 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रहीम पुत्र नदीम निवासी सिल्वर सिटी लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त रहीम उपरोक्त ने बताया कि मैं पहले आँटो चलाता था। पीड़िता ट्रोनिका सिटी में एक फैक्ट्री में काम करती थी तथा वह मेरे आँटो में बैठकर ड्यूटी पर जाती थी जिस कारण मेरी पीड़िता से जान पहचान हो गयी। मैं पिछले 03 वर्षो से पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। कुछ दिन पहले ही मैंने पीड़िता से छिपाकर अपनी दूसरी जगह शादी कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रहीम पुत्र नदीम निवासी सिल्वर सिटी लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा बिजली घर से चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 तांबे की रॉड बरामद।

घटना का विवरण---दिनांक 21-05-2026 को वादी श्री पुष्पेंद्र कुमार (अवर अभियन्ता), निवासी 33 केवी ट्रांस हिण्डन, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद ने सूचना दी कि बिजली घर नन्दग्राम के ऑफिस में रखी कॉपर की रॉड चोरी हो गई हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण---उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 21-05-2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से गोल चक्कर के पास धन-धन सतगुरु आश्रम की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चैकिंग के दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 11 तांबे की रॉड बरामद की गई हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता

1. **अमित कुमार** (पुत्र श्री सूरजपाल) – निवासी: सी-1, मकान नं० 354, गली नं० 3, दीनदयालपुरी, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद (उम्र: 27 वर्ष)।
2. **मो० अरमान** (पुत्र मो० गुड्डू) – निवासी: मकान नं० डीएस-122, बॉम्बे कॉलोनी, शनि मन्दिर के सामने, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद (उम्र: 29 वर्ष)।
3. **सोनू** (पुत्र रामफल) – निवासी: 40 फुटा रोड, बृजनगरी व आर्य समाज मन्दिर के पास, दीनदयालपुरी, नन्दग्राम, थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद (उम्र: 29 वर्ष)।

पूछताछ का विवरण---पूछताछ करने पर अभियुक्त अमित ने बताया कि मैंने, मो० अरमान व सोनू—हम तीनों बिजली घर 33/11 केवी उपकेन्द्र, नन्दग्राम में संविदा कर्मी हैं। बिजली घर में कैश काउन्टर वाले रूम में कुछ कॉपर की रॉड रखी हुई थीं, जिसके बारे में हमें जानकारी थी। हमारे मन में लालच आ गया और हम तीनों ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया। एक दिन मौका पाकर हम तीनों ने रात्रि में रूम की खिड़की का सरिया तोड़कर कॉपर की रॉड चोरी कर लीं। कुछ रॉड हमने पहले ही चलते-फिरते कबाड़ी को बेच दी थीं और बची हुई रॉड को हम लोगों ने यहीं पास की झाड़ियों में छिपा दिया था। आज उन्हें भी बेचने जा रहे थे।

बरामदगी का विवरण---11 ताँबे की रॉड

गिरफ्तार करने वाली टीम ---थाना नन्दग्राम पुलिस टीम